सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

पत्रांक 1050 /सि0वि0वि0/सम्बद्धता/2020 दिनांक 17 / 03 /2020

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्यगण

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।

विषय–उच्च शिक्षा विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों में तथा अशासकीय अनानुदानित स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तो के मानक आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग –2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–226/सत्तर–2–2020–18(31)/2018 दिनॉक 13 मार्च, 2020 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रिट याचिका संख्या–729(एस0बी0)/2012, डॉ0 सुरेश कुमार पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में शासन द्वारा निर्गत संदर्भित शासनादेश की बिन्दु संख्या 2,3,4,5,6 एवं 7 में की गयी व्यवस्था/नियमों का तत्काल प्रभाव से यथावत् क्रियान्वित कराकर आख्या प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है।

उक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश में की गयी व्यवस्था को यथावत् क्रियान्वित करके 20.04.2020 तक अपनी आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में शासनादेश के बिन्दु संख्या–8 के आलोक में कार्यवाही करते हुए सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, उच्च अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. उपकुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
5. कोडिग प्रभारी को इस आशय से कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाइल।

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

संख्या– 226/सत्तर–2–2020–18(31)/2018

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक: 13 मार्च, 2020

विषय:– उच्च शिक्षा विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यकर्मों में तथा अशासकीय अनानुदानित स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों के मानक आदि के संबंध में।

महोदय,

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षेणत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों आदि के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश (पार्श्वांकित) तथा शासनादेश संख्या–1960/सत्तर–2–97–2(85)/1997, दिनाँक 11 नवम्बर, 1997 पूर्व में जारी किये गये हैं।

- शासनादेश सं0–4228ए/सत्तर–2–99–2(85)/97, दिनांक 30 अक्टूबर, 1999,
- शासनादेश सं0–2443/सत्तर–2–2000– 2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000
- शासनादेश सं0–195/सत्तर–2–2006–2(85)/19, दिनांक 06 फरवरी, 2006
- शासनादेश सं0–5699/सत्तर–2–2007–2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008,
- शासनादेश सं0–1726/सत्तर–2–2011–16(409)/2010, दिनांक 15 जुलाई, 2011,
- शासनादेश सं0–2218/सत्तर–2–2011– 16(409)/2010, दिनांक 23 अगस्त, 2011,
- शासनादेश सं0–968/सत्तर–2–2013–18(99)/2013, दिनांक 30 मई, 2013,
- शासनादेश सं0–174/सत्तर–2–2014–2(85)/97टी.सी.–I, दिनांक 12 मार्च, 2014,
- शासनादेश सं0–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015, दिनांक 12 जून, 2015

2– रिट याचिका संख्या–729 (एस0बी0)/2012, डॉ0 सुरेश कुमार पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2013 का सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

53. (iii) All those courses which are open under self-financing scheme, the universities as well as colleges shall at least pay minimum pay scale admissible to teachers in accordance with Rules. The services of teachers appointed under the self-financing scheme, should be permitted to continue till continuance of course or satisfactory discharge of duty.

(iv) Since 2000 and onward, the Government has stopped the grant-in-aid and sanction of new course, even then Government shall ensure that Committee of Managements do not exploit the teachers and pay reasonable salary in contractual and ad hoc appointments in the recognised and affiliated colleges.

रिट याचिका संख्या–729 (एस0बी0)/2012 में पारित आदेश दिनांक 01.03.2013 के अनुपालन में शासनादेश संख्या–968/सत्तर–02–2013–18(99)/2013, दिनांक 30 मई, 2013 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

3– मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के समादर में प्रदेश में समस्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था को अधिक सुचारू एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रस्तर–1 के पार्श्वांकित समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुये शासनादेश संख्या–1960/सत्तर–2–97–2(85)/97, दिनाँक 11 नवम्बर, 1997 के क्रम में कतिपय नई व्यवस्थायें लागू की जा रही हैं, जिनका उल्लेख निम्नलिखित प्रस्तरों में किया जा रहा है।

4– **स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यकमों के सम्बन्ध में :–**

(1) स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बद्धता दिये जाने/नवीनीकरण किये जाने के समय बाजार की मांग और पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता एवं सामयिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये नियमानुसार सम्बद्धता के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमों/परिनियमों के अर्न्तगत सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।

(2) पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या का निर्धारण विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) शैक्षणिक मामलों में विश्वविद्यालय की भूमिका सर्वोच्च होती है। स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा, मूल्यांकन एवं अन्य क्रिया–कलाप सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों एवं निर्देशों के अधीन होंगे।

(4) पाठ्यक्रम के संचालन एवं पर्यवेक्षण का दायित्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय का होगा।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के लिये एक पोर्टल का निर्माण कराया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक महाविद्यालय उस पर छात्र एवं शिक्षकों से सम्बन्धित समस्त सूचनायें अपलोड करे। पोर्टल का निरन्तर प्रभावी अनुश्रवण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

5– **शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में मानक:–**

(1) स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के लिये शिक्षकों के पद की संख्या का निर्धारण शिक्षक–छात्र अनुपात के विहित मानकानुसार किया जायेगा और इस हेतु सरकार द्वारा कोई अनुदान स्वीकृत नही किया जायेगा।

(2) शिक्षको एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बन्धित रेगुलेटरी संस्था/शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/अर्हता के आधार पर की जायेगी। शिक्षकों का अनुमोदन विहित प्रकिया अनुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जायेगा।

(3) शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का चयन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973/सम्बन्धित विश्वविद्यालय की परिनियमावली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/

सम्बन्धित रेगुलेटरी संस्था/शासन द्वारा निर्धारित मानक/प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।

6– शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं परिलब्धियों के सम्बन्ध में :–

(1) स्ववित्तपोषित पाठ्यकमों की सम्बद्धता, छात्रों की संख्या, प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षकों की भर्ती, शुल्क निर्धारण एवं परीक्षा आदि से संबंधित कार्य विश्वविद्यालयों के स्तर से व्यवहृत किया जाता है। कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का निर्धारण सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा अनिवार्यतः किया जायेगा। किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का कम से कम 75 प्रतिशत अंश उस पाठ्यक्रम विशेष के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किया जायेगा। शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय वेतन उस पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा। इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष ऑडिट सम्पन्न कराकर ऑडिट आख्या में इस आशय का विशेष उल्लेख किया जाय कि आय का 75 प्रतिशत अंश शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किया जा रहा है।

(2) शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाइन कराया जायेगा।

7– शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में :–

(1) शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम के चलते रहने अथवा संतोषजनक सेवा रहने तक जारी रहेगी। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश, प्रसूति अवकाश, कर्तव्य अवकाश, चिकित्सीय अवकाश एवं अन्य अवकाश, सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होंगें।

(3) स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत् शिक्षकों के कार्यकारी घण्टे एवं शिक्षक छात्र अनुपात परिनियमावली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बन्धित रेगुलेटरी संस्था/शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगें।

(4) शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से परीक्षा सम्बन्धी कार्य कराया जा सकता है तथा इन शिक्षकों को रिफ्रेशर/ओरिएन्टेशन/वर्कशॉप/सेमीनार/कान्फ्रेन्स में प्रतिभाग करने हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(5) शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन तथा अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख अन्य शर्तों के साथ अनुबन्ध–पत्र में किया जाय। अनुबन्ध–पत्र की एक प्रति शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी तथा एक–एक प्रति महाविद्यालय एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय में जमा करायी जाय।

8– उक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करवाना सम्बन्धित विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा। विश्वविद्यालय अपने स्तर से स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु सुदृढ़ व्यवस्था विकसित करेंगें। उक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा

सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसमें उस पाठ्यक्रम विशेष की सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

9– यह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50(6) में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस निर्देश के साथ निर्गत किये जा रहे हैं कि समस्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की नीति/नियम/परिनियम आदि में यथावश्यक प्राविधान करके उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

10– कृत कार्यवाही की आख्या शासन को 15 मई, 2020 तक कृपया अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाय ताकि प्रचलित अवमाननावाद संख्या–2604/2018, डॉ0 नीरज श्रीवास्तव बनाम श्री नवीन अग्रवाल, प्रमुख सचिव व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय को तद्नुसार सूचना उपलब्ध करायी जा सके।

भवदीया,

13/3

(मोनिका एस. गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या–226(1)/सत्तर–2–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0 ।
2– निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0 इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ कि वे सभी महाविद्यालयों को अनुपालन हेतु निर्देशित कर दें।
3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को भी इस निर्देश के साथ कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4– उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव